(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक--2 नवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिवस संख्या—2

बुधवार,
27 जून, 1990

विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.30 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी। परिवर्तित आय-व्ययक वर्ष 1990-91 को प्रस्तुत करेंगे।

परिवर्तित आय-व्ययक
वर्ष 1990-1991

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1990-91 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. 26 मार्च, 1990 को राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था एवं संविधान के अनुच्छेद 209 के अन्तर्गत राज्य का खर्च चलाने हेतु चार माह के लिये लेखानुदान स्वीकृत करवाया था। यह अवधि 31 जुलाई, 1990 को समाप्त हो रही हैं। अतः अब चालू वर्ष की विभिन्न परिवर्तित मांगों पर विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

3. मार्च, 1990 को विधान सभा में लेखानुदान पर हुई बहस का उत्तर देते हुये मैंने राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित कर मितव्ययता बरतने के राज्य सरकार के संकल्प का उल्लेख किया था। इस हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में बनाई गई शीर्ष समिति ने उन क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया है जहां मुख्य रूप से मितव्ययता की जानी सम्भव है। जन प्रतिनिधियों एवं जनता से भी प्रशासनिक खर्चे में कमी करने सम्बन्धी सुझाव मांगे गये थे, उनसे भी इस बारे में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुये हैं। समिति द्वारा अनेक विभागों, निगमों के कार्य कलापों का परीक्षण कर लिया गया है। यद्यपि अभी शीर्ष समिति का औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है पर अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं आश्वस्त हूं कि उन्होंने जो कार्य हाथ में लिया है उसके फलस्वरूप अनुमानतः प्रति वर्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राज्य की लगभग 30 करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी।

आर्थिक समीक्षा

4. माननीय सदस्यों को आय-व्ययक अध्ययन में सम्मिलित आर्थिक समीक्षा पृथक से वितरित की जा रही है। इसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं तत्सम्बन्धी आर्थिक सूचकांक दर्शाये गये हैं।

5. स्थिर मूल्य 1980–81 के आधार पर राज्य घरेलू उत्पादन वर्ष 1988–89 में, पूर्व वर्ष के 5071 करोड़ रुपये से बढ़कर 6791 करोड़ रुपये हो गया था। त्वरित अनुमानों के आधार पर, वर्ष 1989–90 में यह घटकर 6301 करोड़ रुपये के लगभग रहेगा।

6. प्रचलित कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पादन का अनुमान वर्ष 1988–89 में पूर्व वर्ष 1987–88 के 8977 करोड़ से बढ़कर 12253 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1989–90 के त्वरित अनुमानों के अनुसार अब इसके 12641 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

7. योजनाबद्ध विकास के विगत चार दशकों के प्रयास के बावजूद, राजस्थान आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ा हुआ है। वर्षा की कमी, निरन्तर रूप से पड़ने वाले अकाल, ऊर्जा के स्रोतों का अभाव, कुछ ऐतिहासिक विरासत और कुछ भौगोलिक विषमताओं के फलस्वरूप, विकास की यात्रा में राजस्थान पीछे रह गया है। देश के चौदह बड़े राज्यों की उपलब्धियों की नवीनतम तुलनात्मक जानकारी के आधार पर, गांवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में हमारा तेरहवां स्थान है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा की दृष्टि से बारहवां स्थान है, ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में भी हम बारहवें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति विकास कार्यों पर खर्चे की दृष्टि से हम आठवें हैं और प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्रम संख्या नौवीं है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में भी हम नौवें स्थान पर हैं रासायनिक खाद के प्रयोग में हमारा स्थान तेरहवां है और शिक्षा के क्षेत्र में हम चौदहवें स्थान पर हैं। चौदह प्रमुख राज्यों की श्रृंखला में आधारभूत सुविधाओं के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का तेरहवां स्थान है। ऐसी स्थिति में भी योजनागत विनियोग बढ़ाकर तथा प्रशासनिक खर्चों में मितव्ययता लाकर हम विकास की गति को बढ़ायेंगे।

वार्षिक योजना 1990-91

8. मुझे आपको यह बताते हुये हर्ष होता है कि योजना आयोग से विचार-विमर्श करने के पश्चात राज्य की 1990–91 की योजना का आकार 956 करोड़ रुपये रखा गया है। यह पिछले वर्ष की योजना से 161 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य की वार्षिक योजनाओं के इतिहास में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किसी भी एक वर्ष में, उसके पूर्व वर्ष की तुलना में यह वृद्धि सर्वाधिक है। वर्ष 1990–91 में, जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, पिछले वर्ष के मुकाबले योजना में 20.3 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

9. वार्षिक योजना का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं.	द	राशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	82.67	8.7
2.	ग्रामीण विकास	57.15	6.0
3.	विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.45	0.1
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	182.73	19.1
5.	विद्युत	238.41	24.9
6.	उद्योग एव खनिज	81.45	8.5
7.	परिवहन	46.85	4.9
8.	प्रौद्योगिक सेवायें एवं अनुसंधान	1.89	0.2
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	237.45	24.8
10.	आर्थिक सेवायें	16.63	1.7
11.	सामान्य सेवायें	5.32	0.6
12.	वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रशासन के स्तर में सुधार	5.00	0.5
	योग	956.00	100.00

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

10. राष्ट्रीय स्तर पर आठवीं योजना के प्रारूप तैयार करने के दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अभी हाल ही में अनुमोदित कर दिये गये हैं। हमने भी 1990-91 की राज्य की योजना तैयार करते समय उद्देश्यों एवं नीति-निर्देशों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। ग्रामीण क्षेत्र एवं गरीब व्यक्ति हमारी योजना में केन्द्र बिन्दु हैं। कुल योजना राशि का 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। राज्य में निरन्तर सूखे का संकट, जल स्रोतों का सीमित होना, दो-तिहाई भाग में रेगिस्तान, इन सबसे जूझते हुए कृषि, पशुपालन एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास को किस प्रकार अधिकाधिक गति दी जा सकती है इस बात को योजना के स्वरूप निर्धारण में विशेष महत्व दिया गया है।

विद्युत

11. विद्युत आर्थिक विकास का मूलभूत आधार है। राज्य में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना में विद्युत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में इस मद में 238.4 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें मुख्यतः माही परियोजना पर 6.2 करोड़ रुपये, कोटा ताप बिजली परियोजना स्टेज-II पर 20 करोड़ रुपये, कोटा ताप बिजली परियोजना स्टेज-III पर 25 करोड़ रुपये, ट्रांसमीशन, सब ट्रांसमीशन एवं वितरण पर 112.1 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण विद्युतीकरण पर 57 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित है।

12. सूरतगढ़, मांगरोल, दाईं मुख्य नहर माही, पूगल तथा चारणवाला लघु पन बिजली योजनाओं को इस वर्ष पूरा कर विद्युत उत्पादन चालू कर दिया जायेगा और इससे लगभग 12 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

13. मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष है कि केन्द्रीय सरकार ने सूरतगढ़ तापीय 420 मेगावाट विद्युत परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है। इसी प्रकार 630 मेगावाट की धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना को जिसे पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया गया था हमारे प्रयासों से पुनः विचारार्थ ले लिया गया है। 11 जून, 1990 को केन्द्र सरकार के उर्जा सचिव व पर्यावरण तथा वन सचिव ने धौलपुर जाकर सर्वेक्षण कर लिया है और ऐसी सम्भावना है कि इनकी स्वीकृति प्राप्त हो जावेगी तथा इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

14. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 420 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना चित्तौड़गढ़ हेतु मैसर्स सेन्चुरी टैक्सटाइल व इण्डस्ट्रीज लि. बम्बई को उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी कर दिया है। निजी क्षेत्र को भी राज्य की प्रगति के लिए साथ लेकर प्रदेश की खुशहाली के प्रयत्नों में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भागीदार बनाने का यह प्रथम प्रयास है। निजी क्षेत्र में उत्पादित की गई विद्युत को राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्रय कर इसका वितरण किया जायेगा।

15. इसी प्रकार बीकानेर जिले में बरसिंगसर में 240 मेगावाट क्षमता के उत्पादन हेतु लिग्नाइट विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है और आशा की जाती है कि केन्द्रीय पी. आई. बी. द्वारा इसकी स्वीकृति शीघ्र जारी हो जाएगी।

16. इसके साथ ही मैंने केन्द्रीय ऊर्जा एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ अन्ता गैस तापीय विद्युत परियोजना स्टेज-II के बारे में विचार विमर्श किया है एवं राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसकी पूर्ण क्षमता 413 मेगावाट प्रदेश को देने हेतु बल दिया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

17. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा की उपलब्धि में महत्त्वपूर्ण सुधार होगा।

18. पारेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटा-ब्यावर 220 के. वी. लाइन को पूर्ण करने के अतिरिक्त सूरतगढ़, सीकर व चित्तौड़गढ़ पर 220 के. वी. के 100 एम. वी. ए. क्षमता के सब स्टेशन लगाने का लक्ष्य है।

19. उप पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 500 कि.मी. 33 के. वी. के नये सब स्टेशनों के निर्माण एवं पुराने सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि द्वारा जोड़ी जायेगी। इसके अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा शहरों के पारेषण एवं वितरण तन्त्र में सुधार करने हेतु योजनाएँ बनाई जावेंगी।

20. वर्ष 1990-91 में ऊर्जा की उपलब्धि 11694 मि. यू. रहने की आशा है जो कि पिछले वर्ष की उपलब्धि से 16.40 प्रतिशत अधिक है।

21. ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में इस वर्ष 25,000 कुओं का ऊर्जीकरण एवं 1100 गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। जिन गांवों तक विद्युत लाइन पहुँच चुकी हैं किन्तु कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है ऐसे गांवों में बिजली कनेक्शन देने की ओर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

सिंचाई

22. योजनान्तर्गत प्रावधानों में विद्युत के बाद सिंचाई संसाधनों को ही राज्य सरकार प्राथमिकता देती है। इसी के अनुरूप इस वर्ष इस मद में लगभग 182.7 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

23. सिंचाई विभाग द्वारा नियंत्रित परियोजनाओं के लिए गत वर्ष के 75.53 करोड़ रुपयों के मुकाबले इस वर्ष 96.42 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इस प्रावधान से चालू परियोजनाओं को गति मिलेगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जा सकती हैं उन्हें अधिक आवंटन कर पूरा करने का प्रयत्न किया जावेगा।

24. गत वर्ष 50,000 हैक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 36,500 हैक्टेयर इन्दिरा गांधी नहर से होना था। इसमें से 47.500 हैक्टेयर की क्षमता अर्जित की गई जिसमें 35,200 हैक्टेयर इन्दिरा गांधी नहर पर की गई है। वर्ष 1990 91 में यह लक्ष्य 64.500 हैक्टेयर रखा गया है जिसमें 40,000 हेक्टेयर इन्दिरा गांधी नहर से किया जाना प्रस्तावित है।

25. विशेष प्रयत्न करके इस वर्ष घग्घर के डिप्रेशन्स को खाली करने एवं नोहर और सिद्धमुख परियोजनाओं की योजना आयोग से स्वीकृति ली जा रही है और मुझे आशा है कि इन तीनों परियोजनाओं पर इसी वर्ष माह अक्टूबर तक काम प्रारम्भ कर दिया जावेगा। नोहर और सिद्धमुख परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में पूरा करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

26. पिछले कुछ वर्षों में जलाशयों में आम तौर पर पानी की कमी रहने के कारण वर्ष 1988–89 में प्रयोग के रूप में बांधों पर गेहूं के बजाय कम पानी से तैयार होने वाली फसलों, जैसे सरसों व चना को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके अच्छे परिणाम मिलने पर वर्ष 1989–90 में सिंचाई एवं कृषि विभागों ने संयुक्त रूप से माही के अलावा सभी सिंचित क्षेत्रों में सरसों व चना लगाने का अभियान चलाया था। इसके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। कम पानी से होने वाली फसलें सिंचित क्षेत्र की औसतन 20 फीसदी से बढ़कर लगभग 50 से 55 फीसदी हो गई है और इसी कारण सिंचित क्षेत्र में पानी की उपलब्धि की कमी के कारण जो कटौती की जाती थी, वह भी इस वर्ष अपेक्षाकृत कम हुई।

27. सिंचाई परियोजनाओं से उत्पादन में होने वाली वृद्धि से लाभान्वित कृषकों की माली हालत में सुधार एवं अन्य सामाजिक एवं आर्थिक लाभों के विषय में दो राय नहीं हो सकती है। फिर भी यह एक आम चर्चा का विषय है कि बड़ी योजनाओं से लाभ मिलने में कई वर्षों का समय लग जाता है और इनका सीधा लाभ एक क्षेत्र विशेष में ही सीमित रहता है। इस कारण हमने लघु सिंचाई परियोजनाओं को विशेष तौर पर प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सारे राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तथा अकाल राहत कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य आरम्भ किये गये थे जिनमें अधिकांश अधूरे पड़े हैं। इनमें से हम ऐसा योजनाओं का चयन कर रहे हैं, जो जून, 1991 तक पूरी की जा सकें और इनसे 1991 92 को रबी फसल में सिंचाई आरम्भ की जा सके। ऐसी योजनाओं पर 1990-91 व 1991–92 में जितने अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता होगी उसे पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

28. परियोजना के द्वितीय चरण में मार्च, 1990 तक 1067 किलोमीटर लम्बाई में शाखाओं, वितरिकाओं व उप वितरिकाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है जिससे 1 लाख 87 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। इस वर्ष के लिये योजना मद में में 35 करोड़ रुपयों की राशि रखी गई है। बोर्डर एरिया डवलपमेंट ग्रान्ट्स से भी इस परियोजना में मदद मिलती रही है। उसमें पिछले वर्ष का लगभग 6 करोड़ रुपया बाकी है और इस वर्ष 28.6 करोड़ रुपया मिलने की आशा है। इस प्रकार परियोजना के लिये इस वर्ष 70 करोड़ रुपयों की राशि उपलब्ध हो जायेगी। इसके आधार पर 40,000 हैक्टेयर के नये क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

29. वर्तमान में अर्जित क्षमता व वास्तविक सिंचाई में बड़ा अन्तर चल रहा है जो एक चिंता का विषय है। योजना के द्वितीय चरण में मार्च, 1990 तक 1.87 लाख हैक्टेयर की उत्पन्न सिंचाई की गई थी इस वर्ष आवंटियों को क्षेत्र में बसने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाये जायेंगे। कृषि विस्तार के कार्य कलापों को हाथ में लिया जा रहा है ताकि नये बसने वालों को सिंचित फसलों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सके। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि 35,000 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की जावे।

सिंचित क्षेत्र विकास

30. चम्बल क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें वर्ष 1960 से उपलब्ध हैं लेकिन कच्ची वितारिकायें होने के कारण इनमें मिट्टी आदि भर जाती है तथा इनका समुचित लाभ अन्तिम छोर पर बसे काश्तकारों को नहीं मिल पाता। इस वर्ष इस प्रणाली की विशेष मरम्मत एवं सफाई हेतु 40 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

31. विश्व बैंक की सहायता से करीब 1 लाख 67 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रेनों का निर्माण किया गया था और साथ ही जहां-जहां भूमि विकास कार्य किये गये वहां केरियर ड्रेन का प्रावधान भी रखा गया था। लेकिन ड्रेनों में मिट्टी भर जाने के कारण यह सही रूप से कार्य नहीं कर रही है। इस वर्ष विशेष सफाई हेतु 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि इनको पुनः उपयोगी बनाया जा सके।

32. इसके साथ ही इन ड्रेनों के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजे के मामले भी कई वर्षों से चले आ रहे हैं। इस वर्ष इन पुराने मामलों को निपटाने हेतु 37 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे कृषकों की लम्बे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो जायेगा।

33. इस क्षेत्र में भूमिगत जल निकास की नालियां बनाने की योजना कनाडा सरकार के साथ विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत 84 करोड़ रुपये की मशीनरी एवं उपकरण तथा अन्य सहायता मिल सकेगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कृषि कार्यक्रम

34. पिछले वर्ष राज्य में वर्षा की कमी के कारण राज्य के बहुत से भागों में अभाव की स्थिति पैदा हुई है जिसके कारण कृषि उत्पादन में भी कमी आई। हमारा चिन्तन यह है कि कृषि क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिये जावें जिनसे उत्पादन की वर्षा पर निर्भरता कम की जा सके।

35. राज्य में आधे से अधिक सिंचित क्षेत्र में सिंचाई कुओं से की जाती है। भू-जल विकास की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने कुओं के लिए बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा के प्रीमियम की आधी राशि किसान से ली जायेगी और आधी राशि सरकार द्वारा अपनी ओर से दी जाएगी। कुआं खोदने पर भी निर्धारित गहराई पर बीमा पालिसी में अंकित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने पर बीमे की निर्धारित देय राशि का किसान को भुगतान कर दिया जाएगा।

36. जल की कमी को देखते हुए, उसका अधिकतम सदुपयोग करने के लिये सरकार ने किसानों को अपने कुओं पर पक्की नालियां बनाने के लिए व सामुदायिक रूप से ट्यूब वैल खोदने के लिये अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। कुओं पर पक्की नालियां बनाने के लिए सामान्य जोत के किसानों को 33% व अल्प एवं सीमान्त जोत के किसानों को 50% सहायता दी जाएगी। यदि पांच या उससे अधिक खातेदार मिलकर सामुदायिक ट्यूबवैल बनाना चाहें तो सामान्य जोत के कृषकों को 25% (अधिकतम राशि 25,000/- रुपये तक) व छोटी व सीमान्त जोत के किसानों को 33% (अधिकतम राशि 30,000/- रुपये तक) दी जायेगी। इससे जल के सामुदायिक उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

37. स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी। चालू वर्ष में 1.50 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करा कर 1200 स्प्रिंकलर सिंचाई सेट लगाने का प्रावधान किया गया है। स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए सामान्य जोत के किसानों को 33% व छोटी सीमान्त जोत के किसानों को 50% अनुदान दिया जायेगा।

38. देश की जीवन्त सांस्कृतिक परम्परा के प्रतीक के रूप में सरकार ने कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग में भागीरथ योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत फील्ड स्तर के राज्य कर्मियों को प्रेरणा देकर उनकी इच्छानुसार उत्कृष्ट कार्य करने के लिये सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि वे अपने क्षेत्र में किसानों से मिलकर स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार विशेष कार्य कर सकें। स्वप्रेरणा पर आधारित नीचे के स्तर से योजना बनाने तथा उसको क्रियान्वित करने का यह एक अनूठा प्रयास है। गांव स्तर के अच्छे कार्यकर्त्ताओं को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने तथा उन्हें आगे लाने का यह विशेष अनुक्रम है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

39. विश्व बैंक से सहायता लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं उदयपुर के चयनित क्षेत्रों में लगभग 74 करोड़ रुपये की लागत की एक समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना चालू वर्ष से लागू की जा रही है। राज्य सरकार ने कृषि विकास की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 470 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना भारत सरकार को विश्व बैंक से सहायता लेने के लिये भेजी है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह योजना विश्व बैंक द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी।

40. राज्य के हर गांव, पंचायत समिति व जिले के लिये स्थानीय किसानों, पंचायतीराज संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं से विचार-विमर्श कर सहभागी कृषि विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। सारे देश में सहभागिता के आधार पर स्थानीय स्तर योजना बनाने का यह एक उत्कृष्ट प्रयास है। मुझे आशा है कि इस योजना से हम कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे।

सहकारिता

41. राज्य में समय-समय पर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती रही है और इस कारण किसान पर कर्जे का भार काफी बढ़ गया है। किसानों को ऋणों में राहत देने के लिये हमने चुनाव से पूर्व जनता से वादा किया था। सरकार में आने पर अब हम उस वादे की पूर्ति कर रहे हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छोटी-बड़ी सभी जोत के ऐसे किसानों को जिन पर 2 अक्टूबर, 1989 को अतिदेय मांग बकाया है, अधिकतम 10,000/-- रुपये की सीमा तक राहत प्रदान की जाय। यह राहत निम्न प्रकार उपलब्ध होगी :—

1. जिन किसानों, बुनकरों व दस्तकारों ने 1–4–1986 से पूर्व प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों या प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से ऋण लिया था इसमें से जो मांग राशि 2--10--1989 को ओवरड्यू थी, वह राशि 10 हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक माफ कर दी जायेगी।

2. जिन किसानों, बुनकरों व दस्तकारों ने 1–4–1986 से 2–10–1989 के बीच में ऋण लिया है, उसमें से जो मांग राशि 2–10–1989 को ओवरड्यू बकाया है तो ऐसी राशि पर भी 10 हजार रुपये तक राहत मिलेगी बशर्ते कि अकाल की स्थिति के कारण ऐसे ऋणी अपनी ऋण देय राशि नहीं चुका पाये हों। ऐसे लोगों को राहत, गिरदावरी के आधार पर मिलेगी।

3. 2 अक्टूबर, 1989 से पूर्व मृतक ऋणियों, दिवालिया घोषित कर दिये गये या दिवालिया घोषित करने हेतु न्यायलयों में 2 अक्टूबर, 1989 से पूर्व प्रस्तुत किये गये मामलों में भी ऋणों में राहत दी जायेगी।

42. इस योजना के अन्तर्गत पात्र ऋणियों को तीन महीने में राहत उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि वे सहकारी संस्थाओं से पुनः ऋण ले सकें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

43. इस योजना से लगभग 170 करोड़ रुपये का किसानों पर पड़ने वाला भार सरकार वहन कर रही है। मुझे आशा है कि इससे सभी किसानों को व्यापक राहत मिलेगी। ऋण राहत योजना पर खर्च होने वाली लगभग 170 करोड़ रुपये की राशि का 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार वहन करेगी तथा 50 प्रतिशत राशि उसे केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होगी। हमने बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान इस कार्य हेतु किया है। राज्य के हिस्से की अवशेष राशि को भी भारत सरकार ने हमें रिजर्व बैंक व नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। पिछली खरीफ व रबी के ऋण 2 अक्टूबर, 1989 को ड्यू नहीं हुए थे, अतः उन ऋणों का भुगतान किसानों द्वारा सहकारी संस्थाओं को किया जायेगा। इस योजना से प्रदेश में लगभग 13–14 लाख कृषक, बुनकर व दस्तकारों के परिवार लाभान्वित होंगे। कमाण्ड सिंचित क्षेत्र में खालों के निर्माण के ऋण में भी इस योजना के अन्तर्गत राहत दिलाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

44. जयपुर में गृह निर्माण समितियों के द्वारा भारी घोटाले की बात मैंने कई बार विधान सभा में उठाई थी तब कई लोगों ने इसका विश्वास नहीं किया था लेकिन अभी हाल ही में सहकारिता विभाग द्वारा खुले शिविरों में की गई जांच से इस प्रकार की अनियमितताएं व्यापक पैमाने पर पाई गई हैं। जयपुर की गृह निर्माण समितियों की जाँच सहकारी समितियों के शुद्धिकरण की शुरूआत है। गृह निर्माण समितियों की इस प्रकार खुले शिविरों में जांच अन्य बड़े शहरों में भी कराई जा रही है। भूमि रूपान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकरण व गृह निर्माण समितियों से जुड़ी उपभोक्ता की उलझन को मिटाने का कार्य शीघ्र ही पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है।

45. केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों व क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त किये हैं। सितम्बर से इनके चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर हम 6 महीने से कम समय में इनके जनतान्त्रिक गठन का कार्य पूरा कर देंगे।

शिक्षा

46. मानव व्यक्तित्व व राष्ट्र विकास में शिक्षक व शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। विगत वर्षों में राज्य में शिक्षा सुविधाओं का संख्यात्मक दृष्टि से विस्तार तो हुआ लेकिन पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में इन संस्थाओं से पूरा लाभ नहीं मिल पाया। अध्यापकों की कमी की शिकायतें निरन्तर होती रही हैं। इस वर्ष हमारा ध्येय है कि शिक्षा संस्थाओं व सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण कर उन्हें सुसंगठित किया जाय व शिक्षा के गुणात्मक पहलू पर बल दिया जाय। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न बहु-आयामी प्रमुख कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) 1990–91 में राज्य में 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के 2.67 लाख एवं 11

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से 14 आयु वर्ग के 1 लाख अतिरिक्त बालक-बालिकाओं को सुनियोजित प्रयासों द्वारा विद्यालयों में प्रविष्ट कराया जायेगा।

(2) 71 पंचायत समितियों में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 3883 एकल अध्यापकीय विद्यालयों को दो अध्यापकीय विद्यालयों में बदला जायेगा तथा लगभग 7500 प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। इसकी स्वीकृति भारत सरकार से शीघ्र प्राप्त होने की उम्मीद है।

(3) बाड़मेर, बून्दी, भरतपुर, चूरू, सवाई माधोपुर, टोंक एवं कोटा जिलों में एक-एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त 2.79 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग भवन निर्माण एवं साज-सामान क्रय करने के लिये किया जायेगा।

(4) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अजमेर जिले को सम्पूर्ण साक्षर बनाया जायेगा।

(5) सीमान्त क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, तथा बाड़मेर जिलों की 13 पंचायत समितियों में शैक्षिक विकास कार्यक्रम के विस्तार किये जाने हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

(6) जनजाति उपयोजना क्षेत्र की भांति जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर व नागौर के जिलों के कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र व छात्राओं को, प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, पोशाकें तथा उपस्थिति छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(7) कक्षा 9 से 10वीं तक पढ़ने वाली निर्धन छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय पुस्तकालयों अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(8) सैकण्डरी एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर पर बढ़ते हुए नामांकन हेतु 150 अतिरिक्त कक्षा वर्ग खोले जायेंगे।

(9) वर्ष 1990-91 में विभिन्न महाविद्यालयों में 10 नये विषय खोले जायेंगे।

(10) उच्च शिक्षा की अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु दो नये कॉलेज खोले जायेंगे।

47. साक्षरता प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिये इस वर्ष प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के आधार पर प्रत्येक जिले में एक-एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति को पांच-पांच लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी। इस राशि का उपयोग पीने के पानी की योजनाओं पर किया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा

48. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में हर स्तर पर काफी विस्तार किया गया है। वर्ष 1990-91 का मुख्य लक्ष्य पिछले वर्षों में खोले गये संस्थाओं को सुदृढ़ करना व उनकी कमियों को दूर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना है। वार्षिक योजना 1990-91 में इस हेतु 9.7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

49. राज्य में तकनीकी शिक्षा विकास हेतु विश्व बैंक ने 45 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मशीनरी का नवीनीकरण, नये व्यवसाय खोलना, एप्रेन्टिसशिप छात्रों की बेसिक ट्रेनिंग तथा मोटर चालकों के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

50. गत वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, औषधालय तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये थे किन्तु वास्तविकता यह है कि इन चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के साथ जो डाक्टर, नर्स व कम्पाउण्डर्स नियुक्त किये जाने चाहिये थे वे वांछित मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये गये। सभी चिकित्सा संस्थाओं में आवश्यक औषधियों, उपकरणों तथा पर्याप्त भवन व्यवस्था का अभाव भी निरन्तर अनुभव किया जा रहा है। इस स्थिति में चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार का अपेक्षित लाभ जनता को प्राप्त नहीं हो रहा है।

51. अतः इस वर्ष राज्य सरकार का प्रयास विद्यमान चिकित्सा संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने का होगा एवं इस हेतु चिकित्सा संस्थाओं के लिए अधिक मात्रा में औषधियों की व्यवस्था तथा पुराने एवं खराब उपकरणों के स्थान पर नये उपकरण दिये जाने हेतु पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

52. प्रदेश में चिकित्सालय भवनों के निर्माण को गति देने के लिए मैंने मुख्य मंत्री चिकित्सालय विकास कोष स्थापित किया था। हमारा यह प्रयास होगा कि इस कोष में गैर सरकारी स्रोतों से विशेष धन राशि एकत्रित की जावे। चिकित्सा क्षेत्र में नये भवनों के निर्माण, पुराने भवनों के विस्तार एवं सुधार आदि के लिए स्थानीय स्तर पर जितनी राशि जनता द्वारा लगाई जायेगी उतनी ही राशि उक्त कोष से मैचिंग ग्रांट के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

53. निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके दुष्परिणाम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विकास कार्यक्रमों का जो लाभ प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिये था वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की मंद गति एवं आर्थिक विकास के मानक सूचकों में अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान का स्थान इस बात का प्रमाण है।

54. परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक पंचायत समिति की दो पंचायतों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के आधार पर श्रेष्ठ घोषित किया जायेगा एवं प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर आने वाली पंचायत को क्रमशः 60 हजार रुपये एवं 40 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की जायेगी। यह अनुदान राशि पंचायत को प्राप्त हो रही अन्य अनुदान राशियों के अतिरिक्त होगी।

55. इस अनुदान राशि का उपयोग, ग्राम पंचायतें दो योजनाओं में कर सकेंगी। पहिला तो पीने के पानी से सम्बन्धित कोई योजना। दूसरी योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दो परिवारों के लिए मकान बनवाना। इस वर्ष के दौरान इस पंचायत में जो गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवार नसबंदी करवाने के कार्यक्रम को अपनायेंगे, उन्हीं में से दो व्यक्तियों का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक मकान पांच हजार रुपयों का होगा।

56. इस कार्यक्रम को अधिक गति देने के सम्बन्ध में आपकी ओर से भी अच्छे सुझाव आयेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इन सुझावों का मात्र स्वागत ही नहीं किया जायेगा, बल्कि सरकार उन पर गम्भीरता से मनन एवं चिंतन कर उनके क्रियान्वयन करने का प्रयास करेगी। धन के अभाव में इस कार्यक्रम की गति को हम कभी अवरुद्ध नहीं होने देंगे।

समाज कल्याण

57. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक विकास व सामाजिक उत्थान हेतु कटिबद्ध है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही हैं।

58. इन वर्गों के शैक्षणिक विकास हेतु विभाग द्वारा निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 27 नये छात्रावास खोलना प्रस्तावित है जिनसे 675 अतिरिक्त छात्रों को लाभ प्राप्त होगा।

59. अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशिष्ट संगठक योजना चलाई जा रही है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 162.90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जो राज्य की 956.00 करोड़ रुपये की योजना का 17 प्रतिशत से अधिक है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को चालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

60. सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार एवं छुआछूत को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया नया अधिनियम अनुसूचित जाति एवं जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 30 जनवरी, 1990 से समस्त राज्य में लागू कर दिया गया है व इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट सैशन न्यायालयों की स्थापना की गई है।

61. अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं उन्हें चालू वर्ष में और तेजी से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ओटो रिक्शा योजना के अन्तर्गत 300 परिवार, शहरी व ग्रामीण दुकान योजना के अन्तर्गत 400 एवं 1000, स्केवेन्जर्स प्रशिक्षण (पुनर्स्थापन) के अन्तर्गत 300, सामूहिक पम्प सैट योजना के अन्तर्गत 2000, आर्टीजन एवं बुनकर शेड योजना के अन्तर्गत 2000 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

62. कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा में प्रारम्भ की गई अभिनव परियोजना के अन्तर्गत गूंगे, बहरे, दृष्टिहीन, विमन्दित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार शिक्षण, स्वरोजगार, कृत्रिम अंग, उपकरण आदि उपलब्ध कराकर विकलांगों को पुनर्स्थापित करना है। इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 1537 विकलांगों को लाभान्वित किया गया। इस वर्ष इस योजना पर 18.31 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

63. गत वर्ष वृद्धावस्था पेन्शन हेतु 7.72 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में 11.04 करोड़ रुपये किया गया था। हमारी घोषित नीति के अनुसार हम वृद्ध व्यक्ति को लाचार हालात में नहीं रहने देंगे। इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता हुई तो इस प्रावधान को और भी बढ़ा दिया जायेगा।

पेयजल

64. क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल सारे देश के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत है पर जल की उपलब्धता मात्र एक प्रतिशत। राज्य के लगभग आधे भाग में वर्षा का औसत मात्र 10 से 12 से मी. रहता है। फिर लगातार 5 वर्षों से अनावृष्टि के कारण पेयजल की समस्या और भी गम्भीर हो गई है। राज्य के अधिकांश भागों में सतही स्रोतों में तो पानी सूख ही गया है, भूमिगत जल का स्तर भी त्वरित गति से गिरता जा रहा है। इसमें कुछ हमारा यह दुर्भाग्य भी शामिल है कि जितना पानी रिचार्ज होता है उससे अधिक हमने उसका दोहन प्रारम्भ कर दिया है।

65. इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत लगभग 40 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पिछले वर्ष के 30 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 42 करोड़ रुपये का तथा नगरीय क्षेत्र में पिछले वर्ष के 29.8 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष 39.8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जा रहा है। इस प्रकार कुल प्रावधान 81.8 करोड़ रुपये है। इसमें त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम, जीवन बीमा निगम, रक्षा मंत्रालय आदि से उपलब्ध होने वाली राशि सम्मिलित नहीं है।

66. प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि व्यय की जा चुकी है। 201 नगरों एवं 32525 गांवों में मार्च, 1990 तक विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनायें पूर्ण या आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई है किन्तु इस वर्ष की गर्मी में इन प्रयासों की अपर्याप्तता काफी खुलकर सामने आ गई। ऐसा आभास हुआ है कि आंकड़ों के हिसाब से तो समस्याग्रस्त गांवों के लिए ये जल प्रदाय योजनायें बनाली गई पर कई क्षेत्रों में वास्तव में इस समस्या का सही समाधान नहीं हो पाया।

67. शहरी क्षेत्र में इस समय दो बड़ी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। जोधपुर शहर के लिये इन्दिरा गांधी नहर से प्रस्तावित लिफ्ट योजना जिसकी लागत 103 करोड़ रुपये है पर मार्च, 1990 तक 31.4 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। इस वर्ष 12.4 करोड़ रुपये राज्य मद से उपलब्ध कराये गये हैं व 2 करोड़ रुपये रक्षा विभाग से प्राप्त हुये हैं। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम, रक्षा मंत्रालय व बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम से और धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत 179 किलोमीटर नहर बनाकर व 25 किलोमीटर पाइप लाइन डालकर जोधपुर शहर तक पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा। अब तक 52 किलोमीटर नहर का निर्माण किया जा चुका है। इस वर्ष के अन्त तक कुल 113 किलोमीटर लम्बाई में नहर बनाई जाना लक्षित है।

68. दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना बीसलपुर बांध से अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है, जिसकी अनुमानित लागत 64.4 करोड़ थी। योजना का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 1990 तक 29 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1990-91 में पाइप लाइन सम्बन्धी कार्यों हेतु राज्य मद में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम से लगभग 13 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। साथ ही बांध के निर्माण के लिये 14+10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 1200 से 1700 मिलीमीटर व्यास की पाइप लाइनें डालने का कार्य प्रगति पर है। 108 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से 30 किलोमीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नसीराबाद से ब्यावर तक 53 किलोमीटर की पाइप लाइन डालकर इस वर्ष ब्यावर शहर को पहली बार बनास नदी से 4 से 5 लाख गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

69. सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद पेयजल कार्यक्रम में अधिकाधिक प्रगति बनाये रखने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त कर द्वितीय चरण में राज्य के 6 प्रमुख नहरों व कुछ छोटे कस्बों हेतु पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। इन योजनाओं में जयपुर नगर को बीसलपुर बांध से तथा उदयपुर नगर को मानसीवाकल योजना से लाभान्वित किया जाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों की कुल अनुमानित लागत 514

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ रुपये है एवं इस राशि को आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वन

70. वर्ष 1990-91 में वन विभाग द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

(1) भारत सरकार ने राज्य के लिए 8.75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 4.50 करोड़ पौधे वन विभाग के 47,000 हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्रों में लगाये जावेंगे तथा 4.25 करोड़ पौधे कृषि वानिकी के अन्तर्गत कृषकों, निजी व्यक्तियों, राजकीय विभागों/उपक्रमों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उनकी भूमि पर लगाये जावेंगे।

(2) विश्व बैंक की सहायता से राज्य में क्रियान्वित सामाजिक वानिकी परियोजना के तहत करीब 16 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा तथा 228 लाख पौधों का कृषि वानिकी के तहत वितरण किया जावेगा तथा 5 पौधशालाओं की स्थापना की जावेगी।

(3) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई कंदरा सुधार योजना के तहत इस वर्ष 5200 हैक्टेयर कंदरा क्षेत्र में ईंधन वृक्षारोपण किया जावेगा।

(4) भारत सरकार द्वारा इस वर्ष प्रारम्भ की गई हवाई बीजारोपण की योजना के तहत इस वर्ष धौलपुर एवं गुडगांव (हरियाणा) से लगते राजस्थान क्षेत्र के 4000 हैक्टेयर कंदरा व रेतीले क्षेत्रों में हवाई पद्धति से बीजारोपण किया जावेगा।

(5) सीकर जिले के धार्मिक स्थल हर्ष की पहाड़ी के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एकीकृत पड़त भूमि विकास की योजना के तहत इस वर्ष 300 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा।

71. राज्य में वनों के विकास के लिये जहां राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग किया जा रहा है वहां दूसरी ओर विश्व बैंक तथा विश्व के अन्य देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास भी इस वर्ष विशेष रूप से किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना में विश्व बैंक की सहायता से अगले दो वर्ष के लिये 25 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, अरावली पहाड़ियों के क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फण्ड जापान से क्रमशः 107 करोड़ रुपये तथा 129 करोड़ रुपये की सहायता आठवीं पंचवर्षीय योजना में मिलने की पूर्ण सम्भावना है।

पंचायती राज

72. राजस्थान की नोवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अपने भाषण में यह घोषणा की गई थी कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विनियोजन बढ़ाकर रोजगार

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
के अधिकाधिक अवसर सृजित किये जायेंगे सरकार द्वारा किये जा रहे प्रत्येक विकास कार्यक्रम को रोजगार सम्भावना की दृष्टि से परखा जावेगा।

73. उक्त घोषणा की क्रियान्विति-स्वरूप पंचायती राज द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अधिकाधिक विनियोजन किये जाने की दृष्टि से कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। पंचायती राज की कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं :–

(क) निशुल्क भूखण्ड आवंटन

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को जिनकी मासिक आय 350 रुपये से कम है 150 वर्ग गज भूमि का आवंटन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 1990-91 में 30,000 भूखण्ड के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) ग्रामीण आवासीय गृह निर्माण नुदान योजना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 225 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। चूंकि भवन निर्माण में काम आने वाली सामग्री महंगी हो गई है, अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1250 रुपये की अनुदान राशि के स्थान पर 1500 रुपये प्रति इकाई अनुदान राशि के हिसाब से वर्ष 1990–91 में 15,000 भवन निर्मित कराये जाने का लक्ष्य है।

(ग) उन्नत चूल्हा योजना

जंगलों के कटने का एक प्रमुख कारण ईंधन के रूप में लाई जाने वाली लकड़ी है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि राज्य के लगभग 70 लाख परिवारों के लगभग उतने ही चुल्हे एक वर्ष में कितने हैक्टेयर जंगलों की लकडी जला देते होंगे। उन्नत चूल्हे के प्रयोग से प्रति परिवार में ईंधन की आवश्यकता करीब दो तिहाई रह जाती है। इस वर्ष उन्नत चूल्हे लगाने का लक्ष्य 1,45,000 रखा गया है, पर भारत सरकार से वार्ता करके इसको बढ़वाया जा सकता है। पिछले वर्षों में जो उन्नत चूल्हे बन गये हैं, उनका समुचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं इस पर एक अध्ययन कराया जा रहा है।

विशिष्ट योजना एवं ग्रामीण विकास

74. प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। यह सम्भव है कि समय के साथ-साथ इनमें कुछ योजनाएं अप्रासंगिक हो गई हों, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में विकृतियां आ गई हों या कुछ योजनाएं लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सिद्ध न हो पाई हों। इन कमियों को दूर करने के लिए विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही सभी 14 योजनाओं के बारे में मैंने सभी 7351 सरपंचों एक पत्र लिखकर पूछा है कि ये योजनाएं कैसी चल रही हैं और इनको सुचारु एवं अधिक प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उनकी राय एवं सुझाव भी मांगे हैं। सभी जिलों के सरपंचों ने मेरे पत्र के साथ भेजी गई प्रश्नावली को भर कर सूचना मुझे भिजवा दी है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

75. सरपंचों से यह भी सूचना मांगी गई है कि पूर्व में उनके क्षेत्रों में कितने काम अधूरे रहे हैं तथा इन कार्यों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। इन सभी सूचनाओं एवं सुझावों का संकलन एवं विश्लेषण कराया जायेगा। उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे, मेरी मान्यता है कि वे जन आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के वास्तविक प्रतिबिम्ब होंगे तथा उनके आधार पर जो नये कार्यक्रम बनाये जायेंगे, उनमें लगे धन का समाज के लिये बेहतर उपयोग होगा।

76. साथ ही राज्य के सभी 27 जिलों के लिए सचिव या विशिष्ट सचिव को प्रभारी नियुक्त कर यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले के 8 गांवों का विस्तृत दौरा कर यह बतावें कि इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्विति कैसी रही है और यदि उसमें खामियां आई हैं, उनके कारण क्या हैं। उनको यह भी कहा गया है कि वे देखें कि जिन व्यक्तियों को इन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई गई थी, क्या वे परिसम्पत्तियां अब भी मौजूद हैं अथवा नहीं।

77. संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, जिलास्तरीय अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दस-दस गांवों का सर्वेक्षण कर इन योजनाओं का अवलोकन करें और सुझावों सहित अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करें।

78. उक्त सभी रिपोर्टों के प्राप्त होने पर मौजूदा चल रही योजनाओं की समीक्षा कर यथोचित परिवर्तन करने पर विचार किया जावेगा तथा जहां आवश्यक समझा जावेगा वहां केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भी आवश्यक परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया जावेगा। हमारा प्रयत्न यही होगा कि भविष्य में हमारी सभी योजनाएं धरातल से जुड़ी हुई हों और उनके आधार वास्तविकता से परे नहीं हों।

अन्त्योदय

79. गरीब को गणेश मानकर हमने प्रदेश में 1977 में अन्त्योदय योजना लागू की थी। इस योजना के दर्शन व क्रियान्विति से प्रभावित होकर कई राज्यों ने इस योजना को अपने यहां लागू किया था। स्वयं भारत सरकार ने योजना आयोग से इसका अध्ययन करवाकर इसको एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में सारे देश में लागू किया। गरीबी उन्मूलन के कार्य को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संज्ञा दे दी गई। माननीय सदस्य स्वयं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति में हुई अनियमितताओं से परिचित हैं। विकास के अन्य कार्यक्रमों के साथ इसके एकीकरण के अभाव के बावजूद भी इसे एकीकृत ग्रामीण विकास के नाम से परिभाषित किया गया। हम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा कर इसमें आवश्यक सुधार करेंगे और अन्त्योदय के नाम से गरीबी उन्मूलन की योजना को पुनः लागू करेंगे। अन्त्योदय योजना में सारे प्रदेश के गरीब व्यक्तियों का चयन किया जायेगा तथा सभी विभागों को कहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जायेगा कि वे चयनित गरीब व्यक्तियों को अपनी विभागीय प्रवृत्तियों का पहला पात्र बनायें। सभी विभागों से दी जाने वाली राजकीय सहायता पर गरीब का पहला हक होगा। वर्तमान सरकार का यह मन्तव्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कर दिया था। उसी मन्तव्य की क्रियान्विति में सभी विभाग अन्त्योदयी परिवारों को अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र बिन्दु बनायेंगे। उदाहरणार्थ शिक्षा विभाग इन गरीब परिवारों की शिक्षा का प्रबन्ध करेगा. कृषि विभाग इनके लिये कृषि विकास योजनायें बनायेगा; चिकित्सा विभाग इन्हें चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायेगा व इसी प्रकार अन्य विभाग भी सहायता देंगे।

पर्यटन

80. राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विपुल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखकर राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग घोषित किया था। चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु 400 करोड़ रु. का प्रावधान किया जा रहा है।

81. राज्य में पर्यटन विकास के बारे में मैंने केन्द्रीय पर्यटन एवं वाणिज्य मंत्री से विचार किया था। यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये देहली-जयपुर-उदयपुर जोधपुर-जैसलमेर परिपथ के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जावे। भारत सरकार का पर्यटन मन्त्रालय इस परिपथ में आने वाले राष्ट्रीय राज मार्गों के विकास एवं सुधार हेतु पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा तथा राज्य सरकार इस परिपथ में आने वाले राज्य राज मार्गों के लिये आवश्यक धन राशि जुटायेगी।

82. भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मण्डोर उद्यान, नागौर दुर्ग, गजनेर अभ्यारण, रणथम्भोर दुर्ग, कुम्भलगढ़ दुर्ग, हल्दीघाटी एवं माउन्ट आबू के विकास के लिए अमेरिका की नेशनल पार्क सेवा की योजना बनाने के लिये आमन्त्रित करेगा। राजस्थान का पर्यटन विभाग जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के मरुस्थलीय त्रिकोण के विकास की एक एकीकृत योजना बनायेगा।

अल्प बचत

83. राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत की गई बचत इस माने में अधिक महत्त्वपूर्ण है कि राज्य में हुए विनियोजन की शुद्ध राशि का तीन चौथाई भाग केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋण के रूप में उपलब्ध हो जाता है। यह राशि राज्य की वार्षिक योजनाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

84. वर्ष 1990–91 की 956 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को पूरित करने के लिए अल्प बचत संग्रहण के हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का लक्ष्य 230 करोड़ रुपये रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निःशुल्क उपहार कूपन योजना चलाई है जिसकी अवधि 31 अगस्त, 1990 तक रखी है। इस योजना से अल्प बचत को प्रोत्साहन मिलेगा व अधिक से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अधिक राशि माह सितम्बर, 1990 से पहले ही जमा हो सकेगी।

सरकारी गैर योजना व्यय का पुनरीक्षण

85. विभिन्न कारणों से राज्य सरकार का गैर योजना मद का व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप नवीन योजनाओं हेतु संसाधन जुटाने में सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि गैर योजना व्यय का आद्योपान्त पुनरीक्षण किया जावे तो यह बात सामने आयेगी कि कई विभाग या कार्यक्रम ऐसे हैं, जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में महत्त्व कम अथवा समाप्त सा हो गया है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे गैर-योजना व्यय, जिसमें गैर विकासीय एवं विकासीय व्यय दोनों ही शामिल होंगे, का पुनरीक्षण जीरो बेस बजटिंग पर किया जावे। कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया जावे। जो कार्यक्रम अधिक महत्त्व के हों उन्हें जारी रखा जावे तथा अन्य महत्वहीन कार्यक्रमों को समाप्त किया जाकर वैकल्पिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिये जावें इस प्रक्रिया से जो भी बचत होगी उसका उपयोग भी साधारणतया उसी विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन पर किया जावेगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा सरकारी तन्त्र इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेगा और सभी विभाग अपने कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा एक माह में कर लेंगे।

वर्ष 1989–90 की वास्तविक स्थिति

86. मार्च 1990 में लेखानुदान के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने अपने वक्तव्य में वर्ष 1989–90 के अन्त में 70.75 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित किया था। करों की बेहतर वसूली व खर्च पर अंकुश लगाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार यह घाटा केवल 42.14 करोड़ रुपये का रहा। इस प्रकार 31 मार्च, 1990 को पूर्व अनुमानित घाटे में 28.61 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

1990–91 के बजट अनुमान

87. वर्ष 1990 91 के परिवर्तित बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

	करोड़ रुपयों में
1 राजस्व प्राप्तियां	3348.98
2. राजस्व व्यय	3[illegible]62.91
3. राजस्व खाते में घाटा	(—) 113.93
4. पूंजीगत प्राप्तियां	1504.65
5. योग (3 तथा 4)	1390.72
6. पूंजीगत व्यय	1418.46
7. शुद्ध योग (5–6)	(—) 27.74

88. पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त होने वाली और उसके पुनर्भुगतान की राशि सम्मिलित है।

89. वर्ष 1989–90 के अन्त में रहे 42.14 करोड़ रुपये के घाटे को जोड़ने पर वर्ष 1990–91 के अन्त में समग्र घाटा 69.88 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

90. मेरे द्वारा प्रस्तावित मुख्य मुख्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार्यक्रमों के लिए यद्यपि बजट अनुमानों में व्यवस्था कर दी गई है फिर भी यदि कुछ कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी उसके लिए यथा समय समुचित कार्यवाही की जावेगी।

कर प्रस्ताव

91. अब मैं बजट भाषण के उस अंश पर आता हूं जिसकी सामान्यतः बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा रहती है।

92. मैं यह महसूस करता हूं कि राजस्थान में विक्रय कर की दरें धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई हैं कि अब यह दरें प्रतिगामी हो रही हैं। दरों की अधिकता के कारण जहां एक ओर करापवंचन को बढ़ावा मिल रहा है वहीं दूसरी ओर राजस्थान का व्यापार पड़ौसी राज्यों में व्यपवर्तित (डाइवर्ट) हो रहा है। आज के युग में अधिकांश वाणिज्यिक गतिविधियां इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो गई हैं कि कर दरों में थोड़े से अन्तर से भी व्यापार व्यपवर्तित हो जाता है। मैं राजस्थान के व्यापार का अन्य राज्यों में व्यपवर्तन रोकने के लिए कृत संकल्प हूं। इसके लिए जहां एक ओर मैं भारत सरकार के स्तर पर खेपकर (कन्साइन्मेंट टैक्स) लगाने के लिए तथा चिन्हित वस्तुओं पर न्यूनतम कर दरें निर्धारित किये जाने तथा उन्हें लागू किये जाने के लिए दबाव डाल रहा हूं, वहीं दूसरी ओर पड़ौसी राज्यों की कर दरों को देखते हुए हमारे राज्य की विक्रय दरों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव कर रहा हूं, जिससे कि हमारे राज्य का व्यापार अन्य राज्यों में व्यपवर्तित न हो।

93. मेरा विचार है कि कर नीति इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उद्योग धंधे पनप सकें तथा इनसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। अतः इस बजट में नये उद्योगों के लगाये जाने, वर्तमान उद्योगों को बढ़ावा देने तथा कामगार एवं दस्तकारों को राहत देने के अनेक उपाय किये गये हैं।

94. राज्य की कर प्रणाली में व्याप्त दोषों से मैं चिन्तित हूं तथा इसे दूर करने के लिए वचनबद्ध हूं। अपना कार्यभार सम्भालते ही मैंने एक एक कर, कर अर्जित करने वाले विभागों की समीक्षा की तथा उन्हें आय बढ़ाने एवं करापवंचन रोकने के कड़े निर्देश दिये। इसके साथ ही इन विभागों के आय अर्जित करने के वार्षिक लक्ष्य भी मैंने बढ़ाये हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि इस कार्यवाही से, मार्च, 1990 में बजट प्रस्तुत करते समय हमारे राज्य की स्वयं के करों से आय, जो 1174.16 करोड़ रुपये आंकी गई थी, वह अब परिवर्तित बजट 1990-1991 प्रस्तुत करते समय बढ़कर 1211.51 करोड़ रुपये आंकी गई है, अर्थात् बिना कर दर बढ़ाये स्वयं के करों से आय में 37.35 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मैं इसी से सन्तोष नहीं करूंगा, वरन् मेरा यह प्रयास रहेगा कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य के स्वयं के करों में कम से कम 1230 करोड़ रुपये की आय हो। राज्य की आय बढ़ाने के इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पुनीत कार्य में, मैं समस्त माननीय सदस्यों व राज्य की जनता का सहयोग चाहता हूं। साथ ही मैं कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे पूरी निष्ठा व मुस्तैदी से करापवंचन रोकने तथा राज्य की आय बढ़ाने के अपने दायित्व को पूरा करेंगे।

95. कर नीति के बारे में मेरी यह भी मान्यता है कि इस नीति के द्वारा अभिजात्य वर्ग पर कर लगना चाहिए तथा गरीब वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। अतएव माननीय सदस्यों को मेरे प्रस्तावों में जहां एक ओर आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग पर नये करों की झलक मिलेगी वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्गों तथा जन-साधारण के लिए करों में व्यापक राहत दृष्टिगोचर होगी।

96. आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु मैंने कई नये कदम उठाने पर विचार किया है, विशेष कर कुछ ऐसे मदों में जो अन्य राज्यों में तो कारगर साबित हो चुके हैं, किन्तु जिन्हें हमारे राज्य में अभी तक परखा नहीं गया है।

97. **विलास (लगजरी) पर कर**—बड़े होटलों में ठहरना आजकल आम चलन में है। कई अन्य राज्यों में महंगे होटलों के किराये पर कर लगता है। हमारे राज्य में महंगे होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कर नहीं लगाया गया है। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में 100/- रु. प्रति दिन प्रति कमरा या उससे अधिक किराये पर विलास कर (लगजरी टैक्स) लगाया जावे। इस नये कर से लगभग तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस सम्बन्ध में अपने बजट भाषण के उपरान्त में राजस्थान विलास (होटलों एवं लोजिंग गृहों में) कर विधेयक, 1990 पुनः स्थापित करूंगा।

98. **वीडियो फिल्म प्रदर्शन पर फीस**—माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि टेलीविजन तथा वीडियो के बढ़ते प्रचलन के कारण राज्य को मिलने वाले मनोरंजन कर की आय पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कई अन्य राज्यों में वीडियो फिल्म के प्रदर्शन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी समस्त राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की है कि वह अपने राज्यों में वीडियो फिल्मों पर समुचित नियन्त्रण करेंगी। अतः यह प्रस्ताव है कि वीडियो फिल्म के प्रदर्शन को चाहे वह सिनेमा, पार्लर, होटल अथवा बस में दिखाई जाए, विनियमित किया जाय तथा इस पर फीस ली जाय। इस प्रस्ताव से राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होने का अनुमान है। इस सम्बन्ध में अपने बजट भाषण के उपरान्त में राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक, 1990 पुरःस्थापित करूंगा।

99. काफी समय से यह मांग रही है कि सिनेमा टिकटों की दरों में परिवर्तन हेतु लचीली नीति होनी चाहिए। अतः मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सिनेमा लाइसेन्स की शर्त संख्या 6 को संशोधित कर सिनेमा मालिकों को एक वर्ष में सिनेमा की वर्तमान टिकिट दर का 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

लीजिंग पर कर

100. संविधान के 46वें संशोधन के अनुसार लीजिंग की प्रक्रिया भी विक्रय कर के दायरे में आ गई है। कई अन्य राज्यों में लीजिंग पर काफी समय पूर्व ही कर लगाया जा चुका है। लेकिन राजस्थान राज्य में अभी तक लीजिंग पर किसी प्रकार का कर देय नहीं है। टेलीविजन वी. सी. आर., वीडियो फिल्में, वातानुकूलन के उपकरण, विभिन्न संगीत उपकरण आदि बहुतायत से लीज पर दिये जाते हैं। इसी प्रकार धनाढ्य वर्ग द्वारा विवाह एवं अन्य समारोहों पर शामियाने एवं अन्य साज सामान भी लीज पर लिया जाता है। सामान्यतः आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग ही वस्तुएं लीज पर लेता है, अतः कुछ निश्चित प्रकार की लीजिंग के लिए मैं 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार के कर से एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की सम्भावना है।

विशेष पथ कर—

101. माननीय सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि अनाधिकृत वाहनों के चलने से, कर का भारी तादाद में अपवंचन हो रहा है व काफी संख्या में दुर्घटनायें हो रही हैं। मैं मोटर वाहनों के प्रच्छन्न चलन को समाप्त करने के लिये कृत संकल्प हूं। राजस्व की हानि का मुख्य कारण, मंजिली वाहनों एवं संविदा वाहनों पर लगने वाले विशिष्ट पथ कर की दरों में भारी अन्तर है। संविदा वाहनों पर विशिष्ट पथ कर की दरें, प्रच्छन्न चलन को बढ़ावा देने के अलावा राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व को भी भारी हानि पहुँचा रही है। अतः कर के रिसाव की सम्भावनाओं को न्यूनतम करने एवं प्रच्छन्न चलन को समाप्त करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि मंजिली वाहनों एवं संविदा वाहनों पर लगने वाले विशिष्ट पथ कर के अन्तर को कम करने लिये, संविदा वाहनों पर लगने वाले कर की दरों को बढ़ाया जावे।

102. नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत निजी सेवा वाहनों को भी "यातायात वाहनों" के तहत परिभाषित किया गया है। अतः मैं, प्रस्ताव करता हूं कि इस श्रेणी के वाहनों पर भी विशिष्ट पथ कर लगाया जावे।

103. राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 की अनुसूची—क के अन्तर्गत विशिष्ट पथ कर की प्रस्तावित दरें तुरन्त प्रभाव से लागू की जाने वाली नयी दरें निम्नानुसार होगी :—

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मोटर वाहन का विवरण	अनुसूची–क में प्रस्तावित अधिकतम दर	विशिष्ट पथ कर की प्रस्तावित प्रभार दरें
1	2	3
	संविदा वाहन	
1. कारें	रु. 450 प्रति सीट प्रति वर्ष	रु. 300 प्रति सीट प्रति वर्ष
2. 12 तक क्षमता सीट वाली कारों से भिन्न मोटर वाहन	रु. 750 प्रति सीट प्रति वर्ष	रु. 500 प्रति सीट प्रति वर्ष
3. 12 से अधिक परन्तु 20 से अनाधिक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन		
(अ) साधारण वाहन	रु. 1000 प्रति सीट प्रति वर्ष	रु. 750 प्रति सीट प्रति वर्ष
(ब) साधारण वाहनों से भिन्न वाहन	रु. 1,500 प्रति सीट प्रति वर्ष	रु. 1,200 प्रति सीट प्रति वर्ष
4. 20 से अधिक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन		
(अ) साधारण वाहन	रु. 2,500 प्रति सीट प्रति वर्ष	रु. 1,800 प्रति सीट प्रति वर्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1	2	21
(ब) साधारण वाहनों से भिन्न वाहन	रु. 5,000 प्रति सीट प्रति वर्ष	रु. 3,000 प्रति सीट प्रति वर्ष
अस्थायी परमिट पर चलने वाले संविदा वाहन		
1. कारें	रु. 100, सात दिन या उसके भाग के लिये	रु. 70, सात दिन या उसके भाग के लिये
2. 12 तक सीट क्षमता वाली कारों से भिन्न मोटर वाहन	रु. 200, सात दिन या उसके भाग के लिये	रु. 140, सात दिन या उसके भाग के लिये
3. 12 से अधिक परन्तु 20 से अनाधिक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन		
(अ) साधारण वाहन	रु. 500, सात दिन या उसके भाग के लिए	रु. 350, सात दिन या उसके भाग के लिये
(ब) साधारण वाहनों से भिन्न वाहन	रु. 800, सात दिन या उसके भाग के लिये	रु. 550, सात दिन या उसके भाग के लिये
4. 20 से अधिक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन		
(अ) साधारण वाहन	रु. 1.00 प्रति सीट प्रति 10 कि. मी. या उसके भाग के	40 पैसे प्रति सीट प्रति 10 कि. मी. या उसके भाग के लिये

(श्रीभैरोंसिह शेखावत)

1	2	3
(ब) साधारण वाहनों से भिन्न वाहन	रु. 1.00 प्रति सीट प्रति 10 कि. मी. या या उसके भाग के लिये	60 पैसे प्रति सीट प्रति 10 कि. मी. या उसके भाग के लिये
	निजी सेवा वाहन	
1. निजी सेवा वाहन	रु. 800 प्रति सीट प्रति वर्ष	रु. 400 प्रति सीट प्रति वर्ष

104. संविदा वाहनों पर लगने वाले कर को बढ़ाने एवं निजी सेवा वाहनों पर कर लगाने के उपरोक्त प्रस्तावों से 5.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है।

105. उपरोक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 में संशोधन आवश्यक होगा। मैं, इन संशोधनों को, राजस्थान वित्त विधेयक, 1990, जिसे मैं बजट भाषण के तुरन्त बाद पुरःस्थापित करूंगा, में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूं।

रवन्ना फीस —

106. पशु मेले में, राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत रवन्ना फीस ली जाती है। वर्ष 1963 से रवन्ना फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई। जबकि पिछले 27 वर्षों में पशुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है, इसे देखते हुए तथा पशु मेलों के संचालन पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए मैं रवन्ना फीस की निम्न दरें प्रस्तावित करता हूं :—

मद	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
बैल	5 रुपये	20 रुपये
भैंस	2.50 रुपये	10 "
घोड़ा	6 रुपये	25 "
ऊंट	8 "	25 "
खच्चर/गधा	2 रुपये	10 रुपये
भेड़ और बकरी	0.50 "	2 "

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

107. इसके साथ ही मेलों में भेड़/बकरी को छोड़ कर अन्य पशुओं के लाने पर 2 रुपये प्रति पशु के हिसाब से प्रवेश शुल्क लगाने का भी मैं प्रस्ताव करता हूं। उपरोक्त के लिए राजस्थान राज्य पशु-मेला-अधिनियम, 1963 के संशोधन के प्रावधानों को मैंने राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 में सम्मिलित किया है। इन प्रस्तावों से लगभग 60 लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होने का अनुमान है।

मुद्रांक शुल्क—

108. मैंने यह महसूस किया है कि राज्य में मुद्रांक शुल्क की दरें अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक हैं। वर्तमान मुद्रांक शुल्क ढांचे के कारण लोगों में सम्पत्ति का कम मूल्य दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस समय राज्य में बेचान के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क 17 प्रतिशत के लगभग भी हो सकता है। करापवंचन को रोकने एवं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को राहत देने की दृष्टि से, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क को मैं अधिकतम साढ़े बारह प्रतिशत पर स्थिर किये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

109. हस्तान्तरण पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क की 50 हजार रुपये या इससे अधिक सम्पत्ति के मूल्य पर दरों की स्थिति निम्न प्रकार होगी :—

सम्पत्ति का बाजार मूल्य	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
(अ) 50,000 रुपये	5405 रुपये	5405 रुपये
(ब) 50,001 रुपये से 3,00,000 रूपये	5405+ 50,000 रू. से अधिक प्रत्येक 500 रूपये या उसके भाग पर 75 रूपये	5405+ 50,000 रूपये से अधिक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सम्पत्ति का बाजार मूल्य	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
(स) 3,00,000 रुपये से अधिक	42,905 + 3,00,000 रु. से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग पर 85 रुपये	प्रत्येक 500 रुपये, या उसके भाग पर 62.50 रुपये

110. उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार की स्थिति बनेगी :—

सम्पत्ति का बाजार मूल्य	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
50,000 रुपये	5,405 रुपये	5,405 रुपये
60,000 "	6,905 "	6,655 "
1,00,000 "	12,905 "	11,655 "
2 00,000 "	27,905 "	24,155 "
5,00,000 ,,	76,905 "	61,655 "
10,00,000 "	1,61,905 "	1,24,155 "

111. मुझे विश्वास है कि जनसाधारण द्वारा इस कदम का व्यापक रूप से स्वागत किया जायेगा। इससे राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। मेरा मानना है कि मुद्रांक शुल्क में कमी के कारण सम्पत्ति के सही मूल्यांकन को बढ़ावा मिलेगा तथा कुछ सीमा तक करापवंचन रुकेगा एवं तद्नुसार विभाग की आय बढ़ेगी। अतएव मैं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के वर्ष 1990-91 की आय के लक्ष्य को कम नहीं कर रहा हूं। यदि मेरा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह परीक्षण सफल रहा तो यथा समय मुद्रांक शुल्क को और युक्तिसंगत बनाने पर मैं विचार करूंगा। इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव देने के लिए, मैंने इसे राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 में शामिल किया है।

112. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मैंने व्यापार, उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र की विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं कर सलाहकारों से विचार विमर्श किया। इसके साथ ही मैंने विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कर प्रक्रिया, ढांचे एवं विधि के सरल एवं युक्तिसंगत बनाने के समुचित उपाय, मैंने अपने बजट प्रस्तावों में सम्मिलित किये हैं।

113. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 5-आई में कर संदत्त कच्चा माल खरीदे जाने पर सेट-आफ का प्रावधान नहीं है, जिससे कि विनिर्माताओं को कर संदत्त कच्चा माल खरीदने पर सेट-आफ का कोई लाभ नहीं मिलता। मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। अतः मैं धारा 5-आई को संशोधन कर इसके तहत कर संदत्त कच्चे माल पर भी सेट-आफ देने का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

114. वर्तमान में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई डीलर जिसे कि पंजीयन कराना आवश्यक है, पंजीयन नहीं कराता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। व्यवहारी द्वारा जब तक पेनल्टी की राशि जमा नहीं कराई जाती है तब तक उसका पंजीयन नहीं किया जाता है एवं इस कारण एक ओर जहां व्यवहारी से मिलने वाला कर, राज्य सरकार को नहीं मिल पाता है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारी को घोषणा-पत्रों की एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वर्तमान विसंगति को दूर करने के लिए यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि मात्र पेनल्टी जमा कराने की बाध्यता के कारण किसी व्यवहारी का पंजीयन न रोका जाय।

115. विक्रय कर अधिनियम की धारा 10-ग के तहत मात्र धारा 7(क), 7(ख) एवं 10 के तहत पारित किये गये एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों को खोलने का प्रावधान है एवं धारा 12 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। उक्त धारा के आवर्त को विस्तृत करने की दृष्टि से मेरा यह प्रस्ताव है कि इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि धारा 7(क), 7(ख) एवं 10 के साथ धारा 12 के तहत पारित किये गये एक पक्षीय आदेश भी धारा 10 "ग" के तहत खोले जा सकें।

116. बिक्री कर अधिनियम के तहत विक्रय कर अधिकरण द्वारा, लम्बित प्रकरणों में अधिकतम एक वर्ष तक स्थगन आदेश दिया जा सकता है। यह सीमा इस उद्देश्य से लगाई गयी थी कि अधिकरण में प्रकरणों का निपटारा तीव्रगति से हो सकें। परन्तु यह देखने में आया है कि कई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बार एक वर्ष में प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाता है, अतः अपीलार्थियों को राहत देने की दृष्टि से मैं स्थगन की एक वर्ष की सीमा को बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं।

117. विक्रय कर अधिनियम की धारा 17 के तहत यह प्रावधान है कि परिशोधन (रेक्टीफिकेशन) के मामलों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 120 दिनों के भीतर निर्णय दिया जावेगा। साथ ही यह भी सीमा है कि किसी भी प्रकार का परिशोधन, मूल आदेश पारित करने के 4 वर्ष पश्चात् नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है कि त्रुटि ठीक करने की अवधि बढ़ाने का कानून में प्रावधान होना चाहिए। अतः मैं, कर निर्धारण अधिकारी/अपील अधिकारी/प्राधिकरण को शुद्धिकरण आदेश, ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अन्दर पारित करने की शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जो एक वर्ष से अधिक न हो।

118. वर्तमान में विक्रय कर अधिनियम की धारा 22 एवं 22 (क) के तहत कम कर दरों वाली वस्तुओं पर भी कीमत के 30 प्रतिशत तक शास्ती लगाने का प्रावधान है। मैं महसूस करता हूं कि यह प्रावधान कुछ कठोर है, अतः इन धाराओं के अन्तर्गत शास्ती को युक्तियुक्त बनाने के लिए वस्तु पर कर दर के पांचगुणा अथवा वस्तु के मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर, जो भी कम हो, करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे कर निर्धारण अधिकारियों को दिए गए स्वविवेक (डिस्क्रीशन) पर भी अंकुश लगेगा।

119. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रत्यर्पण (रिफण्ड) के मामलों में, व्यवहारी द्वारा प्रार्थना-पत्र देने के 60 दिवसों के भीतर भुगतान न होने पर, ब्याज दिये जाने का प्रावधान है। मेरा मत है कि अधिनियम के तहत मिलने वाले प्रत्यर्पण (रिफण्ड) पर देय ब्याज की गणना व्यवहारी द्वारा सम्बन्धित राशि के जमा कराये जाने की तिथि से की जावे। अतः मैं, धारा 23 में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं, जिससे व्यवहारी को प्रत्यर्पण (रिफण्ड) पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज उसी तारीख से दिया जाए जिस तारीख को लौटाने योग्य राशि व्यवसायी द्वारा जमा कराई गई है।

120. इन तथा कुछ अन्य प्रस्तावों, जिनमें विक्रय कर अधिनियम में संशोधन अन्तर्वलित है, को मूर्त रूप देने के लिए अपने बजट भाषण के उपरान्त मैं राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पुरःस्थापित करूंगा।

121. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के साथ-साथ राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में भी कुछ संशोधन आवश्यक हैं। अतः अब मैं विक्रय कर नियमों के संशोधनों की चर्चा करूंगा।

122. वर्तमान में प्रत्यर्पण (रिफण्ड) के मामलों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के पश्चात्, डीलर के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता होती है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इस स्थिति को अव्यवहारिक मानता हूं। अत: मैं राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 के नियम 37 में यह प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूं जिससे कि कर निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा निर्णय के पश्चात् स्वतः ही निर्णय की पालना की जावे एवं प्रत्यर्पण के पात्र व्यवहारी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं हो।

123. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 10 (4-क) के तहत बाजार दरों के आधार पर "सर्वश्रेष्ठ निर्णय" के तरीके से कर निर्धारण करने का प्रावधान हाल ही में जोड़ा गया है। यह मांग निरन्तर उठाई जा रही है कि इस सम्बन्ध में प्रावधानों को अधिक स्पष्ट बनाया जावे ताकि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। इस मांग का सम्मान करते हुए मैं राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 के नियम 30-क में "सर्वश्रेष्ठ निर्णय" के तरीके से निर्धारण करने के लिए विस्तृत निर्देश बिन्दु प्रस्तावित करता हूं। प्रस्तावित प्रावधानों से कर निर्धारण अधिकारी की स्वविवेक से निर्धारण करने की शक्तियां सीमित हो जायेंगी एवं व्यापार वर्ग का संशय दूर हो जायेगा।

124. साधारणतः राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत विक्रय राशि के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है, परन्तु राजस्थान विक्रय कर नियम 1955 के नियम 28(ख) में एक लाख रुपये वार्षिक पणनावर्त (टर्नओवर) तक के व्यवहारियों को यह विकल्प दिया हुआ है कि यदि वे चाहें तो उनका कर निर्धारण क्रय मूल्य में 10 प्रतिशत बढ़ा कर किया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि इस वार्षिक पणनावर्त (टर्न ओवर) की सीमा को बढ़ाना उचित होगा। अतः, मैं नियम 28(ख) में एक लाख रुपये वार्षिक पणनावत की सीमा को बढ़ा कर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संशोधन से छोटे पणनावर्त वाले व्यवहारियों को लाभ प्राप्त होगा।

125. वर्तमान में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 7 के अधीन ऐसे समस्त व्यवहारियों को विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता से मुक्त कर रखा है जो कि केवल कर मुक्त एवं कर संदत्त माल का व्यवहार करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत से व्यापारियों द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है एवं राज्य को प्राप्त होने वाले कर पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। कर चोरी को रोकने की दृष्टि से मेरा यह प्रस्ताव है कि विवरणी देने की छूट, कर मुक्त एवं कर संदत्त माल का विक्रय करने वाले उन व्यवहारियों को ही दी जावे जिनका वार्षिक पणनावर्त (टर्न ओवर) पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में 15 लाख रुपये से अधिक न रहा हो।

126. माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (क) जिसमें खरीद पर कर लगता है को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 1-4-(0 से संशोधित किया गया था। इस भूतलक्षी प्रभाव से किये गये संशोधन पर यह शंक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रगट की गई है कि इस संशोधन की आड़ में पुराने निर्णित मामलों को भी खोला जावेगा और अतिरिक्त कर मांगा जावेगा। यद्यपि इस सदन में पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है, मैं उस स्पष्टीकरण को पुनः दोहराना चाहूंगा कि इस संशोधन के पीछे राज्य सरकार की मुख्य रूप से यह भावना थी कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप जो करोड़ों रुपयों का प्रत्यर्पण (रिफण्ड) देना पड़ सकता था, उसे रोका जा सके। अतः इस शंका को दूर करने के लिए मैं राज्य स्तर से एक परिपत्र जारी करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें स्पष्टतः यह दिशा निर्देश होगा कि क्रय कर के सम्बन्ध में पूर्व में जो कर निर्धारण हो चुका है उन्हें नहीं खोला जावेगा और क्रय कर की ऐसी अतिरिक्त मांग कायम नहीं की जावेगी जो पुरानी धारा 5 (क) में देय नहीं थी। मुझे आशा है कि इस स्पष्टीकरण के बाद धारा 5 (क) के बाबत सारे संशय दूर हो जावेंगे।

127. विभिन्न राज्यों ने नये उद्योगों को अपने राज्य में आकर्षित करने के लिए विक्रय कर में प्रोत्साहन की लम्बी अवधि की योजनायें घोषित की हैं। करों में छूट देने की इस प्रणाली को मैं उचित नहीं मानता हूं, फिर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, औद्योगीकरण की दौड़ में राज्य को अग्रणी बनाये रखने की दृष्टि से, मैं करों की छूट के बारे में लंबे समय की नीति स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों को यह भली भांति विदित है कि हमारे राज्य में इस समय "उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए विक्रय कर प्रोत्साहन एवं आस्थगन (डेफरमेन्ट) योजनायें 1987" तथा 1989 लागू हैं। इन योजनाओं की अवधि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हो रही है। अतः मैं 1987 तथा 1989 की विक्रय कर प्रोत्साहन व आस्थगन योजनाओं की अवधि को 31 मार्च, 1992 से बढ़ा कर आठवीं योजना के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च 1995 तक लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका तात्पर्य यह होगा कि 31 मार्च, 1995 तक लगने वाले नए उद्योगों को उपरोक्त योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुझे आशा है कि इस घोषणा से औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

128. राजस्थान में इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में नये-नये उद्योग लगें तथा ऐसे उद्योग की अधिक से अधिक सहायक इकाइयां स्थापित हों, यह मेरी योजना है। इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए विक्रय कर प्रोत्साहन योजना 1986 की अवधि 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो चुकी है। इस क्षेत्र में बिक्री कर प्रोत्साहन योजना की निरन्तरता को बनाये रखने एवं इसे और आकर्षक बनाने के लिए मैं इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र के लिए नया "विक्रय कर प्रोत्साहन पैकेज" घोषित करता हूं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए, 1987 एवं 1989 की विक्रय कर प्रोत्साहन एवं आस्थगन (डेफरमेन्ट) योजनाओं में, मैं यथोचित संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। नई व्यवस्था में प्रोत्साहन आस्थगन की राशि का नियत पूंजी विनियोजन (फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट) से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह सुविधा, विस्तार (एक्सपेंशन)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एवं विविधता (डाइवर्सिफिकेशन) के मामलों एवं रुग्ण इकाइयों के लिए भी उपलब्ध होगी। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि नए अग्रणी (पायनियरिंग) तथा प्रतिष्ठावान (प्रेसटीजियस) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए विक्रय कर प्रोत्साहन/आस्थगन की अवधि उद्योग की अवस्थिति (लोकेशन) से बिना प्रभावित हुए 9 वर्ष कर दी जावे। मेरे विचार में इस नई योजना से इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा।

129. माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे संयंत्र एवं यंत्र (प्लाण्ट एवं मशीनरी) जो कि नये उद्योग की स्थापना में अथवा औद्योगिक इकाई के विस्तार (एक्सपेंशन) में प्रयुक्त होते थे पर चुंगी में छूट थी। इसके पूर्व छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल पर भी चुंगी से छूट थी। राज्य के औद्योगिक विकास के हित में अब मैं एक नई चुंगी मुक्ति योजना की घोषणा आवश्यक समझता हूं। अतएव मैं आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न अवस्थाओं में चुंगी से छूट का प्रस्ताव करता हूं:—

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर कथित इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए चुंगी शुल्क से छूट।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों में प्रयोग हेतु आयातित संयंत्र एवं यंत्र पर चुंगी शुल्क से छूट।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार में प्रयोग हेतु आयातित संयंत्र एवं यंत्र पर चुंगी शुल्क से छूट।

130. ताम्बा, लोहा तथा इस्पात एवं कच्ची ऊन, ऐसे पदार्थ हैं जो कि पृथक्-पृथक् औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं में एक से अधिक बार कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाये जाते हैं। इसलिए इन पर कच्चे माल के रूप में क्रय के प्रत्येक अवसर पर कर लगता है। इस कारण संदर्भित वस्तुओं पर क्रय कर का भार काफी बढ़ जाता है। ताम्बे, लोहे तथा इस्पात एवं कच्ची ऊन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं इन वस्तुओं पर लगने वाले क्रय कर की दर को तीन प्रतिशत से घटा कर डेढ़ प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

131. राजस्थान का नमदा उद्योग कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान में बनाया गया हस्त-निर्मित नमदा भारतीय सेना एवं मोटर-वाहन उद्योगों द्वारा भी काम में लिया जाता है। इस क्षेत्र में कार्यरत छोटे-छोटे उद्योग कर्मियों को राहत देने के लिए, मैं ऊनी नमदे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची ऊन पर देय तीन प्रतिशत क्रय कर को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव करता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं। मुझे आशा है कि इस छूट से नमदा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

132. क्रय कर की छूट के क्रम में, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेलों पर लगने वाले क्रय कर को 3 प्रतिशत से घटा कर डेढ़ प्रतिशत कर दिया जावे। इस कदम से राज्य में स्थित वनस्पति उद्योग अपने पैरों पर सुदृढ़ता से खड़ा हो सकेगा।

133. राजस्थान राज्य में स्थित कपड़ों की रंगाई, छपाई एवं प्रोसेसिंग के उद्योग ने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की है। इस श्रमिक प्रधान उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं रंगाई छपाई इत्यादि से सम्बन्धित कार्य संविदा के वार्षिक पणनावर्त पर लगने वाले कार्य संविदा कर जिसे आम बोलचाल की भाषा में "जोब टैक्स" कहा जाता है, को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। आशा है, इस उद्योग में लगे कामगारों द्वारा इसका व्यापक रूप से स्वागत किया जायेगा।

134. माननीय सदस्यों को विदित है कि जयपुर के पारम्परिक रत्न उद्योग को आधुनिक तकनीक एवं विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जयपुर में "जैम स्टोन इण्डस्ट्रियल पार्क" की स्थापना की गई है। इस कदम के बावजूद इस उद्योग को वांछित सम्बल नहीं मिला है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका प्रमुख कारण रत्न तथा मूल्यवान एवं अर्धमूल्यवान प्रस्तर के विक्रय पर लगने वाला कर है। मुझे यह भी जानकारी है कि इस कर के कारण यह उद्योग शनैः शनैः राजस्थान से बाहर जा रहा है। मैं जयपुर को रत्न उद्योग के क्षेत्र में विश्व का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए कृत संकल्प हूं। अतः इस उद्योग को बुलन्दियों तक पहुँचाने के लिए मैं रत्न एवं प्रस्तर (खरड़ सहित) एवं मोती के विक्रय को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इस घोषणा से जयपुर में घर-घर में मूल्यवान एवं अर्द्ध मूल्यवान प्रस्तरों की लघु इकाइयां स्थापित होंगी तथा जयपुर भी सूरत की तरह इस उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र बनेगा।

135. राजस्थान में निर्मित छाते बहुत लोकप्रिय हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैं छातों, इनके कलपुर्जों एवं उपसाधनों के लिए केन्द्रीय विक्रय कर दर को अपंजीकृत व्यवहारियों के लिए दस प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इस रियायत से छाता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

136. पश्चिमी राजस्थान में बकरी के बालों से बनने वाली पट्टियों का निर्माण स्थानीय कला का एक उत्तम नमूना है। गृह उद्योग के रूप में इन पट्टियों का निर्माण हस्तकला विशेषज्ञ कारीगरों द्वारा किया जाता है। इस कला को जीवित रखने एवं ग्रामीण दस्तकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं बकरी के बाल के विक्रय पर लगने वाले 5 प्रतिशत कर को एवं इन बालों से बनने वाली पट्टियों के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को समाप्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इस कदम से इन वस्तुओं के व्यापार का आकार बढ़ेगा जिसके कारण अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

137. सोने एवं चांदी के वर्क बनाने का कार्य ग्रामीण एवं शहरी दस्तकारों के लिए आजीविका का महत्त्वपूर्ण साधन है। यह कार्य मुख्यतः छोटे-छोटे कारीगरों द्वारा किया जाता है। सोने एवं चांदी के वर्क बनाने की कला को प्रोत्साहन देने एव इसमें लगे कामगारों को उत्साहित करने हेतु मैं सोने एवं चांदी के वर्क की बिक्री पर लगने वाले 25 प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

138. मूंज एवं बान का निर्माण ग्रामीण दस्तकारों द्वारा किया जाता है एवं यह कार्य इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। ऐसे ग्रामीणों को राहत देने के लिए मैं मूंज एवं बान के विक्रय पर वर्तमान में लगने वाले 10 प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

139. बच्चों को सस्ती शिक्षा देने का मैं सदैव हामी रहा हूं। अतः ज्यौमेट्री बोक्स, स्याही, पेन्सिल एवं पेन्सिल शार्पनर को और अधिक सस्ता करने की दृष्टि से मैं इन वस्तुओं के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

140. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। तेल रहित खल पशु आहार है। अतः पशुपालकों को राहत देने की दृष्टि से मैं तेल रहित खल के विक्रय पर लगने वाले एक प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

141. रागी, कोदन एवं कुटकी मुख्य रूप से गरीब तबके द्वारा उपभोग किये जाते हैं। इन वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए मैं रागी, कोदन एवं कुटकी के विक्रय पर लगने वाले 2.5 प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

142. मतीरा, तूम्बा एवं अम्बाड़ी के बीजों का संग्रहण गरीब तबके द्वारा किया जाता है तथा यह तेल निकालने के प्रयोग में लिए जाते हैं। इन बीजों का अधिकाधिक संग्रहण हो तथा स्थानीय स्तर पर इनके तेल निकालने के उद्योग पनपें, इसके लिए मैं मतीरा व तूम्बा के बीजों के विक्रय पर लगने वाले 5 प्रतिशत कर को तथा अम्बाड़ी के बीजों के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

143. हमारे राज्य में मछली उद्योग के विकास की अनेक सम्भावनाएं हैं। यह उद्योग तेजी से पनपे इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं बन्द डिब्बों में बेचे जाने वाली मछली के अलावा अन्य मछली के विक्रय पर लगने वाले 4 प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

144. चाहे ईद या फिर राखी, सिवैंया तो पकाई ही जाती हैं। शायद ही ऐसा

(৪৪)·

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई त्यौहार होता हो जब इसे घरेलू मिठाई के रूप में उपयोग में न लिया जाता हो। मैं भाईचारा बढ़ाने वाली इन सवैंयों के विक्रय पर लगने वाले 4 प्रतिशत कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

145. छोटे होटल एवं ढाबे इत्यादि समाज के अल्प आय वर्गों को भोजन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जनता को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मैं इनके लिए कर छूट हेतु निर्धारित वार्षिक पण्यावर्त सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ा कर दो लाख करने का प्रस्ताव करता हूं।

146. बिक्री कर परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गयी कि 20 रुपये तक के मूल्य के जूते एवं चप्पल तथा सिले सिलाये वस्त्र बिक्री कर से मुक्त हैं जिसके कारण करापवंचन हो रहा है, अतः यह छुट समाप्त की जानी चाहिए। मुझे यह जानकारी भी मिली है कि इस सुविधा का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है, अपितु इसका दुरुपयोग बड़े दुकानदारों द्वारा किया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में मैं 20 रुपये तक के जूतों, चप्पलों तथा 20 रुपये प्रति नग वाले मोटे एवं मध्यम कपड़े के सिले सिलाये वस्त्रों के विक्रय पर दी गई कर की छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

147. राज्य में सिल्क उत्पादन की अच्छी सम्भावनायें हैं। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं शुद्ध सिल्क के कपड़ों एवं साड़ियों के विक्रय पर लगने वाले 4 प्रतिशत कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

148. राज्य के विक्रय क्रय की दृष्टि से सीमेन्ट उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु वर्तमान में अधिकतर औद्योगिक संस्थान, सीमेण्ट को भारी मात्रा में दूसरे राज्यों में शाखा हस्तान्तरण (ब्रांच ट्रांसफर) करते हैं। इस प्रक्रिया को खेप कर लगा कर रोका जा सकता है, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक यह कर रोपित नहीं किया गया है जिसके कारण हमारे राज्य को कर से वंचित रहना पड़ता है। सीमेण्ट की अन्तर्राज्यीय बिक्री को बढ़ाने के लिए मैं, अपंजीकृत व्यवहारियों के लिए, अन्तर्राज्यीय विक्रय कर दर को सोलह प्रतिशत से घटा कर सात प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इसके बाद सीमेण्ट उद्योग द्वारा अन्य राज्यों में सीमेण्ट को शाखा हस्तान्तरण (ब्रान्च ट्रांसफर) की मात्रा पर अंकुश लगेगा एवं राज्य को प्राप्त होने वाली कर आय बढ़ेगी।

149. विभिन्न कार्यालयों में कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटरों, इलेक्ट्रोनिक टाइप राइटरों एवं फोटोकापी मशीनों का उपयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। इन उपकरणों के विक्रय पर वर्तमान कर दर 12 प्रतिशत होने के कारण, इनकी अधिकतर खरीद 4% कर देकर सीधे ही अन्य राज्यों में स्थित निर्माताओं से की जा रही है। इससे राज्य को कर की हानि हो रही है। मैं राज्य में इन यंत्रों के चलन को बढ़ावा देने तथा कर की हानि रोकने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उद्देश्य से कम्प्यूटर इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर तथा फोटो कापियर की बिक्री पर लगने वाले विक्रय कर को 12 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

150. राजस्थान देश में तेजी से कपड़ा उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए मैं विभिन्न प्रकार के धागों (यार्न) पर निम्न प्रकार करों में छूट देने का प्रस्ताव करता हूं:—

1. एक्रिलिक धागे	2 प्रतिशत से	1.5 प्रतिशत
2. सभी प्रकार के मानव निर्मित धागे	4 प्रतिशत से	1.5 प्रतिशत
3. सभी प्रकार के बुनाई के धागे चाहे वे एक्रिलिक, केशमिलोन या किसी और नाम से विक्रय किये जाते हों	10 प्रतिशत से	8 प्रतिशत

151. जनसाधारण को राहत देने की दृष्टि से मैं, निम्न वस्तुओं पर कर की दर कम करने का प्रस्ताव करता हूं :—

1. लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, टेलीफोन, इन्टरकोम	15 प्रतिशत से	12 प्रतिशत
2. ग्रामोफोन, रिकार्ड्स, रिकार्ड प्लेयर	12 प्रतिशत से	10 प्रतिशत
3. सिनेमाटोग्राफिक उपकरण, कैमरे, प्रोजेक्टर, ध्वनि अभिलेखन यन्त्र, फिल्म सहित	12 प्रतिशत से	10 प्रतिशत

152. रजाई, कनात, टैण्ट, स्ट्राबोर्ड तथा आतिशबाजी श्रमिक प्रधान कुटीर उद्योग हैं। इन उद्योगों में लगे कामदारों को प्रोत्साहन देने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से मैं इन पर लगने वाले कर की दरों में निम्न प्रकार छूट देने का प्रस्ताव करता हूं :—

1. रजाई	6 प्रतिशत से	2.5 प्रतिशत
2. रजाई कवर	10 प्रतिशत से	2.5 प्रतिशत
3. टेन्ट-छोलदारी, शामियाना एवं कनात	10 प्रतिशत से	

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

4. स्ट्रा बोर्ड	12 प्रतिशत से	5 प्रतिशत
5. कागज के कोरगेटेड शीट्स एवं रोल्स	10 प्रतिशत से	5 प्रतिशत
6. आतिशबाजी	10 प्रतिशत से	5 प्रतिशत

153. जीरा, ईसबगोल माचिस, लोहे की बाल्टी एवं नील, आम आदमी के द्वारा सामान्यतः उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ हैं, राहत देने की दृष्टि से मैं इनकी विक्रय कर दरों को निम्न प्रकार घटाने का प्रस्ताव करता हूं :—

1. जीरा	3 प्रतिशत से	2.5 प्रतिशत
2. ईसबगोल	3 प्रतिशत से	2.5 प्रतिशत
3. माचिस	8 प्रतिशत से	6 प्रतिशत
4. लोहे की बाल्टी	10 प्रतिशत से	8 प्रतिशत
5. नील	15 प्रतिशत से	10 प्रतिशत

154. बिक्री कर परामर्शदात्री समिति द्वारा विक्रय कर दरों को और अधिक युक्तिसंगत व सरल बनाने के विषय में भी सुझाव दिये गये हैं। इनको ध्यान में रखते हुए, विक्रय कर दरों को युक्तिसंगत बनाने, समान मदों को एक साथ रखने एवं कर सूची में मदों की संख्या को कम करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करने के लिए मैं, विक्रय कर दरों को पुनः अधिसूचित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रक्रिया में कुछ वस्तुओं की दरों में मामूली परिवर्तन किया गया है। मैं, माननीय सदस्यों का बहुमूल्य समय इनका विवरण देने में नहीं लेना चाहता।

155. आम चुनाव के बाद प्रस्तुत प्रथम बजट में अधिकांशतः कर की दरें बढ़ाई जाती हैं। माननीय सदस्यों ने यह अवश्य महसूस किया होगा कि मैंने इस प्रक्रिया को बिल्कुल उलट दिया है। वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद मैंने उद्योगों को प्रोत्साहन देने, कामगारों, दस्तकारों एवं हस्त शिल्पियों को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। मेरा यह भी प्रयास रहा है कि राज्य से पड़ौसी राज्यों को होने वाले व्यापार व्यपवर्तन (डाइवर्जन) में कमी आए व राज्य की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले। समाज के कमजोर वर्गों एवं सामान्य उपभोक्ता को यथा सम्भव विक्रय कर से राहत देने का भी मैंने प्रयास किया है।

156. प्रस्तावित बिक्री कर की राहत से राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 8 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। मेरा यह मानना है कि करों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की कमी के कारण व्यापार बढ़ता है तथा कुछ सीमा तक आय बढ़ने की सम्भावना भी रहती है। मुझे आशा है कि प्रस्तावित राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि की पूर्ती बिक्री कर विभाग बेहतर कर वसूली एवं करापवंचन को रोक कर पूरी कर लेगा। अतएव मैं बिक्री कर विभाग के वर्ष 1990-91 के आय के लक्ष्य को कम नहीं कर रहा हूं।

157. मैं पहले ही इंगित कर चुका हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 के अन्त में 69.88 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। नये कर प्रस्तावों के कारण अनुमानतः 10.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 के अन्त में 59.28 करोड़ रुपये का समग्र घाटा होने की संम्भावना है। वर्तमान में, मैं इस घाटे को अपूरित छोड़ना प्रस्तावित करता हूं। इस घाटे की पूर्ति का प्रयास केन्द्र सरकार से अधिक राशि प्राप्त कर, करों एवं बकाया रकम की बेहतर वसूली कर, करापवंचन रोक कर किया जावेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि केन्द्र सरकार-क्षेप कर लगाने के लिए राजी हो जाय।

158. अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय में कमी करके भी घाटे की पूर्ति का प्रयास किया जायेगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, वित्तीय अनुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति खर्च में कटौती के जो सुझाव देगी उनसे लगभग तीस करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है। मुझे आशा है कि इन प्रयासों से राज्य के रथ के आय व व्यय रूपी दो चक्रों में साम्य होगा तथा यह रथ अबाध तथा तीव्र गति से चलेगा।

159. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य एवं समृद्ध भविष्य की शुभ कामना करते हुए मैं वर्ष 1990-91 का परिवर्तित बजट सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के परिवर्तित विस्तृत वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1990-91 का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन
राजस्थान वित्त विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 का पुरःस्थापन। प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को पुरःस्थापन करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर विधेयक, 19.0 का पुरःस्थापन। प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन एवं विनियमन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन एवं विनियमन) विधेयक, 1990 का पुरःस्थापन, प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन एवं विनियमन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो (प्रदर्शन एवं विनियमन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन एवं विनियमन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 का पुरःस्थापन, प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल गुरुवार, दिनांक 28 जून, 1990 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 1.17 बजे गुरुवार, दिनांक 28 जून, 1990 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(42)

शुद्धि पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	20	फोलियो	990	1990
2.	22	26	तक्नीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा
3.	33	21	नुदान	अनुदान
4.	35	फोलियो	2 जून,	27 जून
5.	45	1	श्री भै ोंसिह	श्री भैरोंसिह
6.	51	1	श्री भैररोंसिह	श्री भैरोंसिह
7.	69	फोलियो	क उपस्थापन	का उपस्थापन
8.	69	,,	श्री भै ोंसिह	श्री भैरोंसिह